



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.com rsscocoachingjaipur@gmail.com

Phone - 0141-2744283, 0141-2742468

क्रमांक : एफ.10/खेल अकादमी/भोजन-A/2024-25/847

दिनांक : 8/7/24

ई-निविदा सूचना संख्या 59.../2024-25 दिनांक 08/07/2024

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित Annexure-"G" अनुसार विभिन्न स्थानों पर उल्लेखित आवासीय खेल अकादमियां/खेल स्कूलों (बालक/बालिका वर्ग) हेतु वर्ष 2024-25 में भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

निविदा के कार्य का नाम	आवासीय खेल अकादमियां/खेल स्कूलों हेतु वर्ष 2024-25 में भोजन व्यवस्था							
1. अनुमानित लागत	युप	क्र. सं.	खेल अकादमी/खेल स्कूल	स्थान	स्वीकृत संख्या	कुल अनुमानित संख्या	अनुमानित लागत	बयाना राशि (2%)
	A	1	बालिका एथलेटिक्स अकादमी	जयपुर	15	211	1,60,00,000	3,20,000
		2	बालिका वॉलीबाल अकादमी		16			
		3	बालिका तीरन्दाजी अकादमी		15			
		4	बालिका हैण्डबाल अकादमी		25			
		5	बालिका बास्केटबाल अकादमी		20			
		6	बालक कबड्डी अकादमी	करौली	25			
		7	बालिका हॉकी अकादमी	अजमेर	35			
		8	बालिका फुटबाल अकादमी	कोटा	30			
		9	बालक वॉलीबाल अकादमी	झुझुनू	30			
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक 08.07.2024 से							
3. प्री-बिड मिति तिथि	दिनांक 15.07.2024 को दोपहर 12:00 बजे							
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	29.07.2024 दोपहर 1:00 बजे तक							
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	30.07.2024 को सायं 5:00 बजे							

क्र. सं.	कार्य का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	ऑफलाईन जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	2,000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	29.07.2024 दोपहर 3:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
2	बयाना राशि	3,20,000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
3	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	2,000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director RISL (Payable at Jaipur)

नोट :- इच्छुक बोलीदाता को प्री-बिड मिति में उपस्थित होने से पूर्व निविदा शुल्क की राशि परिषद कार्यालय में जमा करवानी होगी।

सचिव



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.com rsscocoachingjaipur@gmail.com

Phone – 0141-2744283, 0141-2742468

क्रमांक : एफ.10 / खेल अकादमी / भोजन-A / 2024-25 /

दिनांक :

ई-निविदा सूचना संख्या / 2024-25 दिनांक

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित विभिन्न स्थानों पर Annexure- "G" पर उल्लेखित आवासीय खेल अकादमियां / खेल स्कूलों (बालक / बालिका वर्ग) हेतु वर्ष 2024-25 में भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया द्वारा केवल अधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही ऑन-लाईन बिड आमंत्रित की जाती है। आवेदक द्वारा बिड के अन्तर्गत चाहे गये तकनीकी दस्तावेज के साथ बयाना राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस शुल्क का प्रमाण ऑन-लाईन अपलोड करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी / वित्तीय बिड दिनांक 29.07.2024 दोपहर 1:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी। आवेदक द्वारा बिड के अन्तर्गत चाहे गये बयाना राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक परिषद कार्यालय में टेण्डर बॉक्स में सीलबंद लिफाफे में दिनांक 29.07.2024 दोपहर 3:00 बजे तक ऑफलाईन जमा कराना होगा।

तकनीकी बिड दिनांक 30.07.2024 को सायं 5:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों की वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों का अवलोकन आई.डी. संख्या के अन्तर्गत www.rssc.in eproc@rajasthan.gov.in एवं www.sppp.nic.in पर किया जा सकता है।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी भी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट-(DSC) जो कि Class-III की होना आवश्यक है। बिड डालने से पूर्व DSC eproc@rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141-4022688 or mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।


सचिव





राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.com rsscocoachingjaipur@gmail.com

Phone – 0141-2744283, 0141-2742468

ई निविदा/बोली शुल्क रूपये 2000/-

ई टेण्डर प्रक्रिया शुल्क 2000/-

निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि :- 29.07.2024 समय दोपहर 01.00 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की अंतिम तिथि :- 30.07.2024 समय सायं 05.00 बजे

भोजन व्यवस्था हेतु ई-बोली संख्या/2024-25 दिनांक

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता
.....
.....
.....
2. दूरभाष संख्यामोबाइल नम्बर
ई-मेल आईडी.....
3. बोली जिसे सम्बोधित की जानी है :- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
4. बोली शुल्क की राशि रूपये 2000/- रूपये मात्र निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑफलाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
5. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2000/- रूपये का डी0डी0 जो कि MD. RISL, Jaipur के पक्ष में देय करना अनिवार्य होगा।
6. बोलीदाता को आवासीय खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु अनुमानित लागत Annexure-"G" के अनुसार 2 प्रतिशत बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑफलाईन परिषद् कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होंगे।
7. हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, जयपुर द्वारा जारी की गई इस बोली में वर्णित सभी शर्तों तथा उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते हैं।
8. तकनीकी बिड/वित्तीय बिड विधिवत ऑन-लाईन प्रस्तुत करना होगा।
9. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, जयपुर द्वारा संलग्न मीनू Annexure-"F" (जिसे हमने देख लिया है) के अध्ययन उपरान्त अनुमोदित/निर्धारित मीनू दी गई मात्रा के अनुसार निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के लिए सहमति देता हूं।
10. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमियां/खेल स्कूलों (बालक/बालिका वर्ग) हेतु विभिन्न स्थानों में वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्धारित स्थान पर अलग-अलग भोजन व्यवस्था कर दी जावेगी।

11. भोजन उत्कृष्ट गुणवत्ता का होगा। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। कमेटी द्वारा समय-समय पर जांच की जायेगी।
12. ऊपर उद्धरित की गई दरें कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
13. बोलीदाता की सशर्त बोली को रद्द समझा जावेगा। बालक व बालिकाओं की वास्तविक उपस्थिति के अनुसार फर्म को भुगतान किया जावेगा।
14. निर्धारित भोजन मीनू में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य कीडा परिषद में सुरक्षित है।
15. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
16. दर संविदा की स्वीकृत दरों पर दर संविदा की अवधि वर्ष 2024-25 में परिषद द्वारा निर्धारित आवासीय खेल अकादमियों/खेल स्कूलों के अतिरिक्त परिषद मुख्यालय या परिषद द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों की भोजन व्यवस्था हेतु कार्यादेश दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम व पता

.....

मोबाईल नंबर



प्रतिबंध एवं शर्तें

टिप्पणी :- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1. तकनीकी एवं वित्तीय बोलीओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन अपलोड नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलीओं पर समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. बोलीदाता को आवासीय खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु अनुमानित लागत **Annexure-"G"** के अनुसार 2 प्रतिशत बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होंगे।
4. बोलीदाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरें सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय, सायं का ज्यूस, एवं रात्रि भोजन की पृथक-पृथक ऑनलाईन अंकित की जानी चाहिए।
5. न्यूनतम बोलीदाता की दर निर्धारण के लिए बोलीदाता द्वारा वित्तीय बिड में प्रस्तुत कुल राशि को आधार माना जावेगा जिसके आधार पर **Lowest** का निर्धारण होगा। दो निविदादाताओं की दरें समान होने पर क्रय समिति द्वारा निविदादाताओं के पूर्व अनुभव एवं टर्नओवर के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।
6. बोलीयां उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।
8. बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. **बयाना राशि :-**
 - (क) बोलीदाता को खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु अनुमानित लागत **Annexure-"G"** के अनुसार 2 प्रतिशत बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - (ख) असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
 - (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं को पूर्ण हो जाने के कारण परिषद कार्यालय के पास पूर्व से जमा राशि बयाना राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा।
10. **बयाना राशि का समपहरण :-** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा :-
 - (i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
 - (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता हो।
 - (iii) जब बोलीदाता निविदा के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।
 - (iv) जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।
11. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-**
 - (i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कराना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयां स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करायी जायेगी।
 - (ii) बोली के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति/बयाना राशि के लिये समायोजित कर

- (iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 (iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-
 (क) बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी।
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
 (vi) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बर्काया में नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
12. प्रतिभूति/बयाना राशि का समपहरण :- प्रतिभूति/बयाना राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :-
 (i) जब संविदा की शर्तों का उल्लघन किया गया हो।
 (ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो।
 (iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार, सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।
14. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
15. बोलीदाता द्वारा शर्तों के उल्लघन करने पर अनुपातिक रूप से ठेके की राशि में से कटौती की जावेगी।
16. बोलीदाता द्वारा बोली के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जीएसटी प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं खाद्य लाइसेंस (वेज व नॉनवेज) संलग्न किये जायेगें।
17. बोलीदाता को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर, बिक्रीकर/जीएसटी या अन्य करों की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।
18. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्तें आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
19. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।
20. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
 (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।
 (ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 (iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।
 (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
21. बोलीदाता को विगत 5 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में किसी सरकारी/अनुदानित/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर/प्रतियोगिताओं/सरकारी योजनाओं/खेल अकादमियों/राजकीय हॉस्टल/राजकीय स्कूल में भोजन व्यवस्था से संबंधित किये गये कार्यों के कार्यादेश तथा कार्य संतोषजनक पूर्ण करने के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। कार्यादेश हेतु विगत पांच वर्षों में 60.00 लाख का एकल कार्यादेश या 45.00 लाख के दो कार्यादेश या 30.00 लाख के तीन कार्यादेश होने चाहिए।
22. बोलीदाता का विगत 5 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में किसी भी 3 वित्तीय वर्षों में औसत टर्न ओवर 60.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इस हेतु बोलीदाता को टर्नओवर के संबंध में उक्त वर्षों के चार्टर्ड एकाउन्टेड के प्रमाण पत्र मय यूडीआई नं० के हस्ताक्षर मय

23. अवधि के दौरान Annexure-"G" में अंकित आवासित खिलाड़ियों को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन व्यवस्था की संख्या में कमी या वृद्धि यथा आवश्यकता की जा सकती है परन्तु ऐसी कमी या वृद्धि का प्राप्त बोली की दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वास्तविक उपस्थित संख्या के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।
24. निर्धारित भोजन मीनू में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में सुरक्षित है।
25. संस्था से भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नहीं रहेगा। भोजन कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। भोजन कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित पोशाक में परिचय पत्र धारण कर उपस्थित रहेगे। बाल मजदूरी निषेध रहेगी।
26. भोजन बनाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली आवश्यक गैस की भट्टी, गैस सामग्री आदि की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी। अतः समेकित दर खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने की दरें मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, भट्टी की मरम्मत-रखरखाव, खाना बनाने के बर्तन, पानी एकत्र करने के बर्तन, खाने के बर्तन, क्राकरी-कटलरी, बर्तन धोना एवं अन्य आवश्यक उपयोगी बर्तन मय समस्त करों एवं अनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावें। गैस सिलेण्डर नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी का उपयोग लेना सुनिश्चित करें।
27. खिलाड़ियों हेतु दोनों समय चाय, नाश्ता, भोजन बनाना, बनाने-खाने के बर्तनों की सफाई एवं परोसने आदि कार्य करने होंगे। बनाने एवं खाने के बर्तनों की साफ-सफाई पूर्ण स्वच्छता से कर साफ कपड़े से पौछकर परोसनी होगी।
28. बोलीदाता को रसोई कक्ष, भोजन स्थल पर पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।
29. भोजन व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए टेबिल पर सर्व करनी होगी।
30. गुणवत्ता में अतिउत्तम एगमार्क सर्टिफाइड एवं FSSAI Approved खाद्य सामग्री काम में ली जानी आवश्यक होगी। खाद्य सामग्री Suggestive Brands जो कि Annexure-"H" पर संलग्न है के अनुसार ही काम में ली जावेगी। दूध गोल्ड फुल क्रीम का होगा।
31. भोजन की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। खाने में अतिउत्तम गुणवत्ता एगमार्क तेल, घी व मसाले को ही प्रयोग में लाना होगा। परिषद कार्यालय के अधिकारी द्वारा तैयार भोजन/कच्चा माल निर्धारित मानक स्तर से निम्न स्तर का पाये जाने पर परिषद अधिकारी के निर्देशानुसार तुरन्त संबंधित स्थान से हटाना होगा एवं अनुमोदित बोलीदाता उच्च स्तर का तैयार भोजन तत्काल उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस हेतु उस दिन विशेष का कोई भुगतान बोलीदाता को देय नहीं होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित बोलीदाता की होगी तथा गुणवत्ता एवं मीनू अनुसार भोजन व्यवस्था नहीं करने पर Annexure-"I" पर प्रस्तुत बिन्दुओं के आधार पर संवेदक के विरुद्ध शास्ती आरोपित की जावेगी।
32. अनुमोदित बोलीदाता भोजन हेतु आवश्यक कच्चे माल यथा आटा, मसाले, तेल इत्यादि की माह में दो बार परिषद के अधिकारी से चैक कराने हेतु बाध्य होगा।
33. भोजन की व्यवस्था बालक अकादमी एवं बालिका अकादमी दोनों में ही अलग-अलग करनी होगी एवं बोलीदाता को बालकों एवं बालिकाओं की संख्या यथा समय अवगत करा दी जायेगी।
34. बालिका अकादमी में महिलाकर्मि एवं बालक अकादमी में पुरुषकर्मि को ही भोजन कार्य हेतु लगाया जावेगा।
35. भोजन बनाने व परोसने में स्वच्छता के मापदण्डों का पालन किया जायेगा। किसी कारण खाद्य अपमिश्रण (रोकथाम) अधिनियम 1955 के तहत मास फूड पॉयजनिंग जैसी घटना कारित होती है तो बोलीदाता इसके लिए सम्पूर्ण रूप से न्यायालय/उपभोक्ता न्यायालय संबंधित वाद के लिए जिम्मेदार होगा।
36. सफल बोलीदाता को Annexure-"G" में अंकित सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों में भोजन व्यवस्था हेतु एक दर प्रस्तुत करनी होगी एवं इन सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों में अलग-अलग स्थानों पर प्रभारी अकादमी के निर्देशानुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी। सफल बोलीदाता के पास Annexure-"G" में अंकित किसी भी खेल अकादमी/खेल स्कूल में भोजन व्यवस्था हेतु मना करने का अधिकार नहीं होगा। मनाही करने पर सफल बोलीदाता पर नियमानुसार ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

37. भोजन कार्यों का विवरण में दिये गये भोजन कार्य को करते समय यदि किसी भोजन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि का भार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
 38. यदि कर्मचारियों के पारिश्रमिक से विधि एवं उसमें नियमानुसार किसी प्रकार भी कटौती की जानी है तो इस प्रकार की कटौती को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। बोलीदाता को श्रम एवं रोजगार विभाग के सभी नियमों का पालन करना होगा।
 39. टेण्डर अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाती है और संस्था इस अवधि में भोजन कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था पर की गयी व्यय राशि बोलीदाता से वसूलनीय होगी। यह राशि बोलीदाता के बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। इसके उपरान्त भी राशि शेष रहती है तो बोलीदाता जमा कराने को बाध्य होगा।
 40. बोलीदाता द्वारा अपने भोजन कर्मचारियों की हाजरी पंजिका संस्था के प्रभारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करानी होगी। बोलीदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। उनका पुलिस विभाग से सत्यापन पश्चात् अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।
 41. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात् रसोई की सफाई एवं कचरे का उचित प्रकार से निस्तारण व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के चाल-चलन, चरित्र आदि के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा। सभी वेटर एक निश्चित ड्रेस में उपस्थित रहेगे एवं निर्देशानुसार कार्य करेंगे। ड्रेस उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रमण रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
 42. भोजन स्थल पर आरओ पानी के कैम्पर की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी।
 43. कार्य समाप्ति के पश्चात् बोलीदाता द्वारा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। किसी भी सूरत में अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।
 44. अकादमियों के भोजन की दरों का मीनू अनुसार ब्रेक-अप दिया जाना आवश्यक होगा।
 45. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जावेगी। अन्यत्र नहीं की जायेगी।
 46. बोलीदाता द्वारा निर्धारित मीनू को एक फ्लेक्स बोर्ड पर भोजन पाण्डाल के बाहर आसानी से दर्शित होने वाले स्थान पर लगाना होगा। फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगाने पर प्रति अवसर रु. 500/- की कटौती आरोपित की जावेगी।
 47. बोलीदाता द्वारा परिषद की किचन का किसी भी प्रकार से वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जायेगा। अकादमी में तैयार की गई भोजन सामग्री का बहार विक्रय नहीं किया जावेगा।
 48. यदि बोलीदाता संतोषप्रद भोजन सामग्री यथा आवश्यकता व अवधि में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत वसूलनीय होगी।
- परिसमापित नुकसानी – परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	- 2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	- 5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए	- 7.5%
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिए	- 10%
 - प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 - यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

- **वसूली** – परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फुट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फुट, रद्द की गई वस्तुओं की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त की अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
49. संवेदक को प्रत्येक माह के अन्त में भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय प्रभारी/अकादमी प्रभारी द्वारा गठित खिलाड़ियों की भोजन समिति द्वारा प्रमाणिकरण करवाया जाकर बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
50. संवेदक द्वारा लगाये गये मैनपॉवर की सूची मुख्यालय एवं संबंधित प्रभारी को उपलब्ध करवायी जावेगी। साथ ही शिकायत पुस्तिका/बॉक्स मैस में लगाया जाना अनिवार्य होगा जिसकी कुंजी खेल अकादमी प्रभारी के पास होगी।
51. संचालित खेल अकादमियों में भोजन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मैनपॉवर लगाया जाना अनिवार्य होगा :-

Type of Manpower	Minimum Manpower (0-40 Girls/Boys)	Minimum Manpower (40-80 Girls/Boys)
Cook	1	1
Assistant Cook	-	1
Helper	1	2
Housekeeping/Washer	1	2
Total	3	6

52. भविष्य में शुरू होने वाले नवीन खेल स्कूल/खेल अकादमियों की भोजन व्यवस्था किये जाने हेतु निविदा में अनुमोदित दरों पर कार्यादेश दिया जा सकेगा।
53. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शेष शर्तें भी लागू होगी।
- उपरोक्त भोजन कार्य संबंधी शर्तें मैने/हमने पढ ली है, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर ई-बोलीदाता
मोबाईल नम्बर



Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-


- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
 - (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
 - (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.
- 

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :



Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy. Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan. The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा जो तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी है

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित विभिन्न स्थानों Annexure-"G" पर उल्लेखित आवासीय खेल अकादमियां/खेल स्कूलों (बालक/बालिका वर्ग) हेतु वर्ष 2024-25 में भोजन व्यवस्था जिनके लिए निविदा दी है, उसके लिए मैं/हम सक्षम हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो हमारे विरुद्ध सभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत अनर्हकारी माना जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता का नाम-----

पूर्ण पता-----

टेलिफोन नं. (निवास)-----

(कार्यालय).-----

फैक्स/ई-मेल -----

Menu Chart

Morning Tea	5.40 AM to 6.00 AM	1. One Cup of tea 150 ML. 2. Two Biscuit glucose (Parle-G)
Break Fast (Mon-Sat.)	8.30 AM to 9.30 AM.	1. Sweet Dalia of wheat 100g. (Dry) 2. Sprouted gram 50 gm. 3. Sweet Milk ful cream 500 ml. 4. Bread Slices 4 with 20g. Butter/Gem (2 pcs each). 5. Two Awala muraba 100gram/ 2 Boiled Eggs.
Break Fast (Sunday)		Aalu Paratha with 150g. Crud/Chhole Bature, 100g Jalebi & 500ml Milk
Lunch	12.00 PM to 1.00 PM.	1. Tandoori Roti/Chapati and Mix Grain Roti on sunday 2. Rice Basmati 3. Dal/Curry 4. Curd 150g. 5. Green seasonal Vegetable 6. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc,) 7. Fresh Fruit 150g. 8. Pappar 9. Achar (Mix)
Evening Tea	3.50 PM	1. One Cup of tea 150 ML 2. Two Biscuit glucose (Parle Namkeen)
Evning Juice	6.30 PM	1. 200 ML. fresh fruit juice
Dinner	8.00 PM to 9.30 PM	1. Tandoori Roti/Chapati 2. Rice Basmati 3. Dal 4. Green Vegetable 5. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc,) 6. Pappar 7. Sweet/Ice Cream 100g. 8. Three times a week. (i) For Non-Veg. meat 150g. (Two times in a week Chicken and One time in a week mutton.) (ii) For Veg. Malai Kofta or matar paneer 150g.
After Dinner	10.00 PM	1. 250 ML Full cream Milk

साप्ताहिक भोजन मीनू

वार	प्रातः काल अभ्यास से पहले	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	सायंकाल अभ्यास के बाद	रात्रि का भोजन	रात्रि भोजन के बाद
सोमवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	500 एम.एल दुध, 4 ब्रेड (2 मक्खन/2 जैम) 20 ग्राम, दो आंवले/दो अण्डे (उबले), कॉर्नफ्लेक्स, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल सोयाबीन, सलाद, 150 ग्राम दही, अचार, पापड, सीजनल सब्जी, फल (निर्देशानुसार)।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, सलाद, दाल, अचार, सीजनल सब्जी एवं 100 ग्राम मिठाई (गुलाब जामून)।	250 एम. एल दूध।
मंगलवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	500 एम.एल दुध, 4 ब्रेड (2 मक्खन/2 जैम) 20 ग्राम, दो आंवले/दो अण्डे (उबले), दलिया मीठा, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल भिक्स, सलाद, 150 ग्राम दही, अचार, कडी पकोडा की सब्जी, फल (निर्देशानुसार)।।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, सलाद, छोले की सब्जी, दाल, अचार एवं 100 ग्राम मिठाई (रसगुल्ला)।	250 एम. एल दूध।
बुधवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	500 एम.एल दुध, 4 ब्रेड (2 मक्खन/2 जैम) 20 ग्राम, दो आंवले/दो अण्डे (उबले), दलिया मीठा, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, राजमा (छोटा), सलाद, 150 ग्राम दही, अचार, सीजनल सब्जी, फल (निर्देशानुसार)।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, 100 ग्राम पनीर या 200 ग्राम चिकन, सलाद, अचार एवं 100 ग्राम मिठाई (मावा बर्फी)।	250 एम. एल दूध।
गुरुवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	500 एम.एल दुध, 4 ब्रेड (2 मक्खन/2 जैम) 20 ग्राम, दो आंवले/दो अण्डे (उबले), मूंग मोट 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, चने की दाल, पापड, सलाद, 150 ग्राम दही, अचार, सीजनल सब्जी, फल (निर्देशानुसार)।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, सलाद, गट्टे की सब्जी, दाल, अचार, खीर।	250 एम. एल दूध।
शुक्रवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	500 एम.एल दुध, 4 ब्रेड (2 मक्खन/2 जैम) 20 ग्राम, दो आंवले/दो अण्डे (उबले), दलिया मीठा, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, मूंग-मसूर की दाल, सलाद, 150 ग्राम दही, अचार, सोया-मंगोडी सब्जी, फल (निर्देशानुसार)।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, 100 ग्राम मशरूम पनीर या 200 ग्राम चिकन, सलाद, अचार एवं 100 ग्राम मिठाई (मक्खन बडा)।	250 एम. एल दूध।
शनिवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	500 एम.एल दुध, 4 ब्रेड (2 मक्खन/2 जैम) 20 ग्राम, दो आंवले/दो अण्डे (उबले), मूंग मोट 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, तुंवर की दाल, सलाद, 150 ग्राम दही, अचार, सीजनल सब्जी, फल (निर्देशानुसार)।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, सलाद, सीजनल सब्जी, दाल, अचार, खीर।	250 एम. एल दूध।
रविवार	एक कप चाय 150 एमएल एवं 2 बिस्कुट	आलू के परांठे 150 ग्राम दही सहित/छोले बटुरे, 100 ग्राम जलेबी एवं 500 एम.एल. दूध।	चपाती, वेजपुलाव, भिक्स दाल, सीजनल सब्जी, 150 ग्राम दही, सलाद, पापड, फल (निर्देशानुसार)।	1 गिलास सीजनल ज्यूस 200ml.	चपाती, 100 ग्राम पनीर या 200 ग्राम मटन (बकरे का), सलाद, अचार एवं 100 ग्राम मिठाई(केसर बाटी)।	250 एम. एल दूध।

नोट :- 1. चपाती के आटे में 10 प्रतिशत सोयाबीन का पाउडर भिक्स करना होगा यानि की 10 किलो आटे में 1 किग्रा. सोयाबीन पाउडर डालना होगा।

2. चावल की किस्म बासमती ब्राण्ड की होगी।
3. दूध गोल्ड फुल क्रीम होगा।
4. मक्खन अमूल/सरस/मदर डेयरी का होगा।
5. ब्रेड ब्राउन होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
बोलीदाता का नाम-----

Annexure "G"

क्रीडा परिषद द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमियां/खेल स्कूलों (बालक/बालिका वर्ग) हेतु वर्ष 2024-25 में स्वीकृत खिलाड़ियों की संख्या मय बयाना राशि

ग्रुप	क्र.सं.	खेल अकादमी/खेल स्कूल	स्थान	स्वीकृत संख्या	कुल अनुमानित संख्या	अनुमानित लागत	बयाना राशि (2%)
A	1	बालिका एथलेटिक्स अकादमी	जयपुर	15	211	1,60,00,000	3,20,000
	2	बालिका वॉलीबाल अकादमी		16			
	3	बालिका तीरन्दाजी अकादमी		15			
	4	बालिका हैण्डबाल अकादमी		25			
	5	बालिका बास्केटबाल अकादमी		20			
	6	बालक कबड्डी अकादमी	करौली	25			
	7	बालिका हॉकी अकादमी	अजमेर	35			
	8	बालिका फुटबाल अकादमी	कोटा	30			
	9	बालक वॉलीबाल अकादमी	झुंझुनूं	30			

- नोट:-
1. बोलीदाता द्वारा उक्त सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों हेतु एकजाई निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
 2. निविदा में सफल होने पर उक्त सभी खेल अकादमियों/खेल स्कूलों में भोजन व्यवस्था करनी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता का नाम _____

Suggested Brands of all major food items

S.No.	ITEMS	BRAND
1	Salt	Tata, Annapurna, Everest, Surya, Nature fresh
2	Spices	MDH, Badshah, Everest, Tata, Catch, Sunrise, Ashirwad
3	Ketchup	Maggi, Kissan, Heinz
4	Oil	Sunflower, Sundrop, Godrej, Saffola, Fortune, Dhara, Postman, Ruchi, Ganesh, Priya, Gold drop, Gemini, Avita
5	Pickle	Mother's recipe, Priya, Nilons
6	Atta/Besan/ Maida/ Suji	Ashirvad, Shaktibhog, Laxmibhog, Farm Fresh, Ganesh, Annapurna
7	Dal/Dalhan	Tata, Harvest, or sources and variety proposed by the vendor and approved by committee/best quality/1 st quality
8	Rice/Poha	India Gate, Dawat, Best, Kohinoor, Basmati (branded), and variety proposed by the vendor and approved by the committee
9	Papad	Lijjat, Bikaji
10	Butter	Amul, Britannia, Motherdairy, Saras
11	Bread	Star, Kalory, Harvest, Modern, Britannia, Wibs
12	Corn Flakes/ Cereal Flakes	Mohans, Kellogg's
13	Jam	Kissan, Maggi, Tops, sil, mapro
14	Ghee	Amul, Mother Dairy, Britannia, Saras, Everyday, Milk food, Anik
15	Milk	Saras, Amul, Mother Dairy pasteurized dairy whole milk full cream
16	Paneer/Cheese	Amul, Saras, Mother dairy
17	Tea	Brook Bond, Lipton, Tata, Wagh Bakri, Taj Mahal
18	Sugar	Uttam, Madhur, Harvest
19	Coffee	Nescafe, Bru, Green label
20	Ice cream	Amul, Mother Dairy, Vadilal, Kwaliti, Havmor
21	Biscuits	Parle, Britannia, Marie, nice, Monaco, good day, Krackjack, cream, bourbon
22	Fruit juice (Packed)	Tropicana, Real, Minute Maid
23	Chicken	1st Quality
24	Oats	Quaker, Saffola, Baggry's, Kellogs
25	Frozen yoghurt	Amul, Saras, Mother dairy
26	Soyabeans	Nutrela
27	Frozen peas	Safal (off season)
28	Cheese	Amul, mother dairy, Britannia
29	Dry Fruits	1 st quality
30	Mutton	Best quality
31	Fish	Best quality
32	Eggs	Best quality or sources and variety proposed by the vendor and approved by the committee
33	Dalia	Ashirvad, Patanjali, Shaktibhog, Aahar, Pillsbury, Ganesh, Annapurna
34	Vegetables (Starch & Non-Starchy)	Fresh and of 1st quality
35	Awla Murbba	1st Quality Big Size

Special Conditions

Failure to supply food in terms of quality, quantity and as per the menu indicated in Annexure- "F" above will attract penalty. For not adhering to contractual conditions, the department shall be free to impose monetary fine as deemed fit on the contractor. Fines imposed shall be adjusted against payment due to the contractor.

• **Food Quality & Menu -**

- a) If a single item is found sub-standard in a meal then minimum penalty will be 50% of one complete meal of all Cadets. In case, if the item is not consumable as per Mess Committee then the penalty will be 80% of the complete meal of all Cadets.
- b) If two or more items are found sub-standard, then the penalty will be 80% of all Cadets. In case the items are completely non-consumable as per Mess Committee then the penalty will be 100% of the meal of all Cadets.
- c) If 50% of any meal i.e. Breakfast, Lunch, Refreshments or dinner is found sub-standard then the penalty will be 100% i.e. nothing will be paid for that particular meal.
- d) Vegetables used should be fresh and of good quality. If vegetables kept for use is found to be rotten or of poor quality, then a fine of Rs. 500/- for each occasion will be imposed.
- e) Items like Aji-no-moto, Baking soda, non-permissible food colors, vanaspati (dalda) etc are banned and they should not be used. If they are found in the kitchen premises penalty of Rs. 2,000/- for each occasion will be imposed.
- f) Changes in approved menu of any meal without permission of In-charge of the Centre/ his representative(s) would result in a fine of Rs. 500/- on the contractor.
- g) Using of brands not mentioned in the contract without prior permission and adulteration shall invoke a hefty fine beyond the limit of any fine mentioned above and decided by the In-charge of the Centre/ his representative(s)

• **Hygiene -**

- a) Warning letter according to the fault will to be issued.
- b) If no improvement is observed after three such successive warnings then penalty will be charged Rs 10,000/- for first seven days and then Rs 25,000/- per day. Thereafter contract will be terminated after 30 days, if no improvement is observed.
- c) If then also, there is no improvement then penalty will be charged @ 80% rate of per meal per day.
- d) Personal hygiene of workers, misbehavior by workers etc. will lead to fine of Rs. 1,000/- on contractor for every instance.



- **Cleaning of Mess-** The responsibility of cleaning of Mess will be of contractor as per details given below :-

- a) Inside of Kitchen and dining hall flooring including brooming, wiping, common areas including corridors, fans, tube-lights, flycatchers, exhaust fans, chimneys (Once in a fortnight)
- b) ~~Kitchen should be kept clean. If it is not kept clean, a fine of Rs. 1,000/- for each occasion will be imposed.~~

Severity of hygiene failure shall be assessed and decided by the mess committee and fined appropriately. In case of gross failure/negligence a severe penalty will be imposed, which could be a hefty fine as cash and/or summary termination of the Contract.

(The above are only indicative. Respective Center may add or delete any of the lapses on which penalty can/cannot be imposed. Quantum of penalty may be decided by competent authority).

The Contractor agrees and acknowledges that the above referred penalty is reasonable innature and the contractor agrees to abide by the same.

In the event of recurring circumstances of above referred lapses, besides Penalty, RSSC shall be entitled to terminate the Agreement with immediate notice without any liability whatsoever.

I/ We have read the above points, have understood the same and agree to abide.

(Sign & Stamp of Bidder)



FINANCIAL BIDS

1. बोलीदाता का नाम.....
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (कार्यालय).....
(निवास)
- (फै नं0)

भोजन व्यवस्था के लिये निर्धारित मीनू Annexure-"F" के अनुसार दरें निम्न प्रकार होगी।

FORMAT FOR PRICE QUOTATIONS OF ITEMS

क्र. सं.	देय भोजन का विवरण	प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन	राशि रूपये	
			अंको में	शब्दों में
1	प्रातः की चाय, 2 बिस्किट	1		
2	प्रातःकाल का नाश्ता	1		
3	दोपहर का भोजन	1		
4	सांय का ज्यूस (मौसम अनुसार)	1		
5	प्रातः एवं रात्री का दूध 750ML	1		
6	रात्रि का भोजन	1		
कुल राशि प्रति खिलाड़ी/प्रतिदिन रूपये (समस्त कर सहित)				

प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन न्यूनतम दर चयन का आधार होगी।

बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय मोहर

चैक लिस्ट

ई-निविदा संख्या/2024-25 दिनांक

बोलीदाता का नाम व पता

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1	बोली प्रपत्र के समस्त पृष्ठ मय शर्तों एवं एनेक्चर ए, बी, सी, डी एवं सभी एनेक्चर मय हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया। As Acceptance of Terms & Conditions of the tender		
2	तकनीकी बिड़ के साथ निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बयाना राशि का बैकर्स चैक/डी.डी. संलग्न है।		
3	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।		
4	जीएसटी देयता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रपत्र जीएसटी आर-3बी में संलग्न की गई। (केवल 31 मार्च 2024 की)		
5	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।		
6	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य पदार्थ तैयार कर आपूर्ति करने का लाइसेंस की छायाप्रति (वेज एवं नॉनवेज)		
7	Experience of having simillar work order during last 5 year (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 & 2023-24) should be either of the following (As per condition No. 21) :- (i) Three simillar work costing not less than the amount of Rs. 30.00 lacs. Or (ii) Two simillar work costing not less than the amount of Rs. 45.00 lacs. Or (iii) One simillar work costing not less the amount of Rs. 60.00 lacs.		
8	Certificate from Chartered Accountant with UDIN for the proof of average annual turnover in any last 3 financial years of the last 5 year (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 & 2023-24) should be at least 60.00 lacs		
9	Declaration of Blacklist court cases/dispute/claim with arbitration court/consumer forum.		
10	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 में पंजीकृत या कम्पनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र		
11	Constitution of firm (Propriater/Company/Partner)		
12	Signature of Authorised person with date and seal/stamp of company/firm/agency or each page of tender document		
13	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहे।		

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील